सीएसआईआर-केन्द्रीय इलेक्ट्रॉनिकी अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान
पिलानी (राजस्थान) 333031

सं.: 35/25/2020-राभा **दिनांक:** 30.10.2026

कार्यालय ज्ञापन

विषय: माननीय संसदीय राजभाषा समिति की दूसरी उपसमिति द्वारा दिनांक 24 सितंबर, 2026 को जयपुर में किए गए राजभाषा निरीक्षण के दौरान दिए गए आश्वासनों के अनुपालन के संबंध में।

माननीय संसदीय राजभाषा समिति की दूसरी उपसमिति द्वारा दिनांक 24 सितंबर, 2026 को जयपुर (राजस्थान) में सीएसआईआर-सीरी का राजभाषा निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण के दौरान संस्थान में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा की गई। समिति ने संस्थान में राजभाषा कार्यान्वयन पर संतोष व्यक्त करते हुए भारत सरकार के राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करने के निदेश दिए। इस अवसर पर माननीय उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संस्थान के निदेशक महोदय को संतोषजनक कार्य निष्पादन के लिए प्रमाणपत्र भी प्रदान किया गया।

संस्थान में राजभाषा कार्यान्वयन को अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से संसदीय निरीक्षण के दौरान संस्थान की ओर से माननीय संसदीय राजभाषा समिति को दिए गए आश्वासन सभी अधिकारियों/कार्मिकों/सहकर्मियों की सूचना एवं अनुपालन हेतु दिए जा रहे हैं :

1. प्रश्नावली को सावधानीपूर्वक भरा जाएगा एवं समिति के समक्ष सही एवं संगत सूचना दी जाएगी।
2. कार्यालय में हिंदी प्रशिक्षण के लिए शेष सभी कार्मिकों को तत्काल रोस्टर बनाकर हिंदी प्रशिक्षण दिलवाया जाएगा।
3. कार्यालय में हिंदी में प्रवीणता प्राप्त सभी अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा शत-प्रतिशत कार्य हिंदी में किया जाएगा।
4. कार्यालय द्वारा 'क' एवं 'ख' क्षेत्रों से प्राप्त पत्रों के उत्तर भी हिंदी में दिए जाएंगे।
5. कार्यालय द्वारा हिंदी पत्राचार के निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त किया जाएगा।
6. कार्यालय द्वारा अनुभाग निरीक्षण रिपोर्ट को तथ्यात्मक एवं अनुभाग-वार बनाया जाएगा।
7. कार्यालय द्वारा गत निरीक्षण के अपूर्ण आश्वासनों पर कार्रवाई करते हुए उन्हें पूर्ण किया जाएगा।

ये सभी आश्वासन निरीक्षण की तिथि से तीन माह के भीतर पूर्ण किए जाने हैं। अत: सभी संबंधित विभागाध्यक्ष/समूह प्रमुख/अनुभागाध्यक्ष उपर्युक्त आश्वासनों की पूर्ति के लिए कृपया प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई सुनिश्चित करें। संस्थान द्वारा इन आश्वासनों के अनुपालन की समेकित निगरानी की जाएगी ताकि माननीय संसदीय राजभाषा समिति के समक्ष दिए गए आश्वासनों का समयबद्ध अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

मधुरंजन 30.10.2026
(मधुरंजन पाण्डेय)
प्रशासन नियंत्रक

प्रतिलिपि (सूचना, आवश्यक कार्रवाई एवं अनुपालन हेतु) :

1. निदेशक कार्यालय
2. प्रशासन नियंत्रक/वरिष्ठ वित्त एवं लेखा नियंत्रक/भंडार एवं क्रय अधिकारी
3. प्रमुख, पीएमई
4. सभी विभागाध्यक्ष/समूह-यूनिट प्रमुख/अनुभागाध्यक्ष
5. प्रभारी, एआईटीजी/एनएमसी – वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए।
6. सूचना पट्ट
7. संबंधित फाइल/कार्यालय प्रति।